

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : एफ 53/01/2012/19/यो/1325

भोपाल, दिनांक 23-2-2013

प्रति,

- | | |
|--|--|
| 1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल. | 2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
.....परिक्षेत्र, |
| 3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.एम.यू.,
लोक निर्माण विभाग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल | 4. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
.....पण्डल |
| 5. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
..... संभाग | 6. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री
पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग,
..... मध्यप्रदेश. |

विषय:- संशोधित एस.ओ.आर. अथवा नये एस.ओ.आर. पर निविदा आमंत्रित करने बाबत ।

राज्य शासन एतद्वारा आदेशित करता है कि लोक निर्माण विभाग में तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त एवं निविदा आमंत्रण के पूर्व नया /संशोधित एस.ओ.आर. जारी होने पर निविदा नया/संशोधित एस.ओ.आर. पर आधारित अनुमानित निविदा लागत (पीएसी) पर ही आमंत्रित की जाये । यह निर्देश जोखिम एवं लागत पर आमंत्रित निविदाओं पर लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

23/2/13

पृ० क्रमांक : एफ 53/1/2012/19/यो/1326

भोपाल, दिनांक 23.02.2013

प्रतिलिपि:-


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. निजी सचिव, मा० मंत्रीजी, म.प्र.शासन, लो.नि.वि. भोपाल

सचिव,

म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

23/2/13

10/2/13
28/2/13



18/1/13
27/2/13